उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ , भारत का सविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और यह दिनांक 28 मार्च, 2013 को उत्तर प्रदेश गज़ट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम , 2008 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 31 अक्टूबर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 2008 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम , 2008 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सख्या 9. सन 2012 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश , 2012 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने , राज्य के पर्यावरणीय , आर्थिक दृष्टि से पोषणीय विकास के लिए जल संसाधन को सुगम बनाने और विवेकपूर्ण , साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, आवंटन एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने , कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग के लिए दरें और राज्य की जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से लाभान्वित भू-स्वामियों से बाद रक्षा और जल निकास सकर्म से लाभान्वित भूमि पर उपकर नियत करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबनान और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26. सन् 2008) अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनाई गई कार्यसंचालन नियमावली तथा कार्य बटवारा नियमावली के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्तिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित है. अतः उक्त आयोग के कार्यों का संचालन होने पर ' जल से जुड़े विभागों के कार्यों के साथ अतिव्याप्ति (ओवरलैपिंग) की सभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उक्त आयोग की स्थापना के उपरान्त यह पाया गया कि आयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति और अपने कार्यकलापों के निर्वहन में अपेक्षित प्रगति करने में असमर्थ है तथा उसके कार्य से राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप हो रहा है। अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था , अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश , 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

———

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

माग-1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 जून, 2013

आषाढ़ 3, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 446/79-वि-1-13-1(क) 9-2012

लखनऊ, 24 जून, 2013

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग- 1 की दिनांक 28 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या- 330/79-वि-1-13-1(5)-9-2012 द्वारा उसी दिनाक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग- 1. खण्ड (क) में क्रमश हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अंग्रेजी पाठ में शीर्ष शीर्षक की चतुर्थ पक्ति में कोष्ठक तथा शब्द "(As Passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

एस० के० पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।